



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-18/2023

दिनांक- 14 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – रौनापार

महिला के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादिनी मुकदमा द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 23.10.2022 को समय करीब 12.30 बजे रात्रि मे विपक्षी धीरज यादव, शराब की नशे में वादिनी के कमरे मे घुसकर वादिनी के साथ छेड़खानी किया व शोर करने पर कमरे मे आये वादिनी के पुत्र का गला दबाकर मारने पिटने व जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 009/23 धारा 354/452/323/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम 1. धीरज यादव पुत्र रमाकान्त यादव सा0 चक्की हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 14.01.23 को उ0नि0 शशिभूषण शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को बघावर तिराहे से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 09/23 धारा 376/450 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम धीरज यादव पुत्र रमाकान्त यादव सा0 चक्की हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शशिभूषण शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 राजेन्द्र प्रसाद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 शुभम वर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना कन्धरापुर

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ शांतिर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 14.01.2023 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान भोरामकबूलपुर से समय करीब 10.45 बजे अभियुक्त शशिकान्त यादव उर्फ शन्नी पुत्र गुलाब चन्द्र यादव सा0 भोरामकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 10/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त - शशिकान्त यादव उर्फ शन्नी पुत्र गुलाब चन्द्र यादव सा0 भोरामकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 10/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 63/2018 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना तहबरपुर
2. मु0अ0सं0 111/2021 धारा 323/325 भादवि थाना कन्धरापुर

3. मु0अ0स0 34/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

बरामदगी-

01 तमन्चा.315 बोर

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अमरेश थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
4. का0 उपेन्द्र कन्नौजिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना देवगांव

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 519/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में वांछित अभियुक्त चन्दन बनवासी पुत्र स्व0 नखडू बनवासी निवासी ग्राम ठकठऊआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ को टीकरगाढ़ हाईवे चौराहे से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त - अभियुक्त चन्दन बनवासी पुत्र स्व0 नखडू बनवासी निवासी ग्राम ठकठऊआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 332/17 धारा 2/3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान नि0अधि0 थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 175/22 धारा 201/302 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 519/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 गजानंद चौबे थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 भानू प्रताप यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
3. का0 धरणीधर शुक्ला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 सुषमा यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 मनीषा पाण्डेय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

थाना निजामाबाद

पारिवारिक विवाद में पिता पर टार्च से हमला करने से हुयी पिता की मृत्यु, अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 13.01.2023 को वादी मुकदमा मनोज कुमार पुत्र सीताराम निवासी नसीरपुर खालस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरे मोहल्ले का धर्मेन्द पुत्र मुरली निवासी नसीरपुर खालस

थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने पिता मुरली पुत्र स्व० जियाउ को दिनांक 12.01.23 की रात में झगडा होने पर उनको टार्च से मारा पीटा जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 20/23 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 14-01-2023 को निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह थाना निजामाबाद द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र मुरली निवासी नसीरपुर खालस थाना निजामाबाद आजमगढ़ को तहसील निजामाबाद के पास से समय करिब 10.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं० 20/23 धारा 304 भादवि० थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- धर्मेन्द्र पुत्र मुरली निवासी नसीरपुर खालस थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद टार्च (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी थाना निजामाबाद आजमगढ़।
2. का० सुशील कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

सोशल मीडिया पर असलहा के साथ फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - अभियुक्त करन कुमार पुत्र जयप्रकाश सा० अराजी बगहवा (जजमनजोत) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पूर्व में अवैध तमंचे के साथ फोटो फेसबुक व सोशल मीडिया में वायरल किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 353/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 14.01.23 को उ०नि० आशुतोष मिश्रा मय हमराह थाना महाराजगंज द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को शिवपुर ढाला से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसकी तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से फोटो में वायरल 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 353/22 धारा 3/25 A. ACT

गिरफ्तार अभियुक्त -1. करन कुमार पुत्र जयप्रकाश सा० अराजी बगहवा (जजमनजोत) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० आशुतोष मिश्रा थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

का० सुबाषचन्द्र यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

का० रवीन्द्र कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

म०आ० मधुबाला यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।